

समस्तमाननीय राजस्व मण्डल मोग्रो खालियर केम्प रीवा मोग्रो



- 1- उदित नारायण सिंह पिता भानी सिंह
- 2- हरिबंश सिंह पिता स्व. भानी सिंह
- 3- सत्यवंत सिंह पिता स्व. भानी सिंह
- 4- गोविन्द सिंह तनय स्व. भानी सिंह
- 5- देवकुमार सिंह तनय स्व. भानी सिंह & फौत
- क- मु. हरिराज कुविर बेबा पत्नी स्व. देवकुमार सिंह
- ख- कमलेश कुमार सिंह
- ग- अछिनेस सिंह
- घ- सावित्री सिंह :- सभी पुत्र व पुत्री स्व. देवकुमार सिंह
- च- रेनु सिंह
- छ- सविता सिंह
- ज- पारोत सिंह
- 6- मदनकुमार सिंह पिता स्व. बलदेव सिंह
- 7- राजपती सिंह पिता स्व. बलदेव सिंह
- 8- राजेश्वरी सिंह पिता स्व. बलदेव सिंह
- 9- अनूका सिंह पिता बलदेव सिंह

सभी निवासी गण ग्राम रेला
तह. सिंगरौली मोग्रो

----- अविद कम्प

बनाम

रमाकर सिंह तनय स्व. नर्ददा सिंह साठ रेला तह. सिंगरौली जिला सिंगरौली
मोग्रो

----- अनावेदक

निगरानी विरुद्ध अदिस न्यायालय श्रीमान् क्लेक्टर सिंगरौली
म.प्र.प्र.फ. 45/निग./ 20+1-12 अदिस दिनांक 12-12-11

19-6-12
R-1869-I/12
1680
आज प्राप्त
19-6-12
रखने के लिये

अधिवक्ता श्री शारदा
उसाद सिंगरौली तह
उल्लूक
रीवा, दि. 23-5-2012
Amul
23-5-12


Amul

Amul

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

प्रकरण क्रमांक R. 1869 - 1/12 जिला- सिंगरोली

अदित नारायण सिंह वगैरे विरुद्ध रमाक L सिंह

(1)	(2)	(3)
19-12-18	<p>1. आवेदक की ओर से श्री. शारदा प्रसाद मिश्रा अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी कलेक्टर/ अपर कलेक्टर, जिला सिंगरोली के प्रकरण क्रमांक 45/सिंगरोली/11-12 में पारित आदेश दिनांक 12-12-11 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कमिश्नर, रीवा संभाग रीवा के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। उभयपक्ष दिनांक 14.3.19 को कमिश्नर, रीवा संभाग रीवा के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हो।</p> <p style="text-align: right;">  सदस्य </p>	